उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
संख्याः 556 /23–XIX–2/61 खाद्य/2013
देहरादूनः दिनांक 28 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्याः 546 /23–XIX–2/61 खाद्य/2013 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 – सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढवाल।
7– आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, देहरादून।
8– निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लिथो प्रेस, रुड़की, हरिद्वार को प्रश्नगत नियमावली केहिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नियमावली को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 50 प्रतियाँ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
16– विभागीय पोर्टल हेतु।
17– गार्ड फाइल।

संलग्नक–यथोक्त

Signed by Arpan Kumar Raju
Date: 28-08-2023 15:03:43
(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव।

कार्यालय आयुक्त
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
उत्तराखण्ड
डाक प्राप्ति संख्या 1741
दिनांक 01/09/23
... के हस्ताक्षर
... जिससे सम्बन्धित है

1/149659/2023

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, अनुभाग–2
संख्या 541 /23–XIX–2/61 खाद्य/2013
देहरादून: दिनांक: 25, अगस्त, 2023

अधिसूचना

चूंकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–40 के अधीन यथा अपेक्षित कतिपय नियमावली का प्रारूप खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 380/23–XIX–2/61 खाद्य/2013 दिनांक 01 जून, 2023 के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व अभ्यावेदन और आपत्तियाँ आमंत्रित किये गये थे;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 01 जून, 2013 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और चूंकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है। अतः अब राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अंतिम अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियम 3–क का अंतःस्थापन

2. उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण नियमावली, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

आयोग का अध्यक्ष या सदस्य की पात्रता

"3.–"क" कोई भी व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि–

(एक) उसने पैंतालीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो;

(दो) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(तीन) वह किसी अपराध, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हैं, के लिये दोष सिद्ध और कारावास से दण्डित किया गया हो;

(चार) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो।"

नियम 4 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित में से नियुक्त होंगे:– (क) जो अखिल भारतीय सेवा या संघ अथवा राज्य की किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य हैं या रहे हैं या कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषाहार, स्वास्थ्य या	अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित में से नियुक्त होंगे:– (क) जो अखिल भारतीय सेवा या संघ या राज्य की किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य हैं या रहे हैं या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारक हैं

किसी सहबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से संबंधित विषयों में ज्ञान और अनुभव रखने वाला संघ के अधीन सिविल पद धारित किया हो; या **(ख)** जो कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषाहार, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव सहित सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात व्यक्ति हो;या **(ग)** जो गरीबों के खाद्य और पोषाहार अधिकारों के सुधार से सम्बन्धित कार्य का सिद्ध अभिलेख रखते हों।	और जिन्होंने कृषि, खाद्य तथा रसद, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी सम्बन्धित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में या तो पृथक रूप से या सम्मिलित रूप से कम से कम दस वर्ष कार्य किया हो, या **(ख)** जो कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषाहार, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन में कम से कम दस वर्ष के कार्य अनुभव के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक व व्यापक ज्ञान वाले सार्वजनिक जीवन का प्रख्यात व्यक्ति हो, या **(ग)** जो गरीबों के खाद्य और पोषाहार अधिकारों के सुधार से सम्बन्धित कार्य का सिद्ध अभिलेख धारक हो। **स्पष्टीकरण**– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य हेतु सिद्ध अभिलेख धारक तब कहा जायेगा यदि उसने सम्बन्धित क्षेत्र में कोई राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो या सम्बन्धित क्षेत्र में अपने कार्य के लिये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करते हुये किसी ख्याति प्राप्त संगठन के लिये कम से कम दस वर्षों के लिये कार्य किया हो एवं इस क्षेत्र में कोई शोध अथवा नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रकाशन किया हो।

नियम 5 का संशोधन 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्त के लिये पात्र होगाः परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।	**(क)** आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित रीति के सिवाय उन्हें इससे पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अपने कार्यकाल में पद से हटाया नहीं गया हो, एक अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा; परन्तु यह कि, कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा। **(ख)** आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है: परन्तु यह कि, उपनियम (ख) के अधीन त्यागपत्र, राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकार्यता के दिनांक से प्रभावी होगा। **(ग)** अध्यक्ष और सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा गठित जॉच समिति के द्वारा अभिकथित तथ्यों की जॉच रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

49668/2023

	(घ) जॉच समिति, जॉच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी:— (एक) आरोपों के सार को आरोप पत्र के रूप में अल्पीकृत किया जायेगा और, यथास्थिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर उसकी तामील की जायेगी; (दो) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को अपने मामले को प्रस्तुत करने का एक अवसर अनुमन्य किया जा सकता है; (तीन) समिति के निष्कर्षों में आरोपों का विवरण यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य द्वारा दिये गये उत्तर, जॉच समिति का निर्धारण और आरोपों के पूर्ण या आंशिक निपटारे के बारे में उनका निष्कर्ष उपलब्ध कराया जायेगा; (चार) जॉच रिपोर्ट समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। (पांच) नियम 3 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत सदस्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा प्रशासनिक आदेश से की जायेगी।

नियम 6 का संशोधन 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गए विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थातः—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुये, राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य—सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिनके अन्तर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियॉ ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करें।	**1. (क)** खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जायगी। **(ख)** चयन समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः— **(एक)** मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन— **अध्यक्ष,** **(दो)** प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग— **सदस्य,** **(तीन)** सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड— **सदस्य सचिव।** 2. चयन समिति निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगीः— **अध्यक्ष का चयन :—** चयन समिति द्वारा सर्च एवं सेलेक्शन कमेटी की रीति के माध्यम से अध्यक्ष के चयन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगी। **सदस्य का चयन :—** (क) सदस्य के रिक्त पद के सापेक्ष व्यापक प्रचार

	प्रसार के उपरान्त निर्धारित अर्हताओं के साथ आवेदन आमंत्रित करेगी। (ख) चयन समिति प्राप्त आवेदनों की सम्यक जाँच/मूल्यांकन करेगी। तत्पश्चात अपनी टिप्पणी एवं संस्तुति राज्य सरकार को विचारण के लिए भेजेगी। **3.** राज्य खाद्य आयोग की बैठकों हेतु समय, स्थान एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में– **(क)** आयोग राज्य के दोनों मण्डलों में अनिवार्य रूप से वर्ष में कम से कम 02 बैठक करेंगे, जो, प्रत्येक 06 माह के अन्तराल में होगी तथा बैठक का समय एवं स्थान अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग द्वारा नियत किया जायेगा। **(ख)** राज्य खाद्य आयोग की बैठक की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः– **(एक)** राज्य खाद्य आयोग के सम्बन्ध में गणपूर्ति हेतु उपलब्ध संख्या का दो तिहाई या अध्यक्ष के अतिरिक्त 01 सदस्य होना अनिवार्य होगा। **(दो)** सदस्य सचिव, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित अन्य अधिकारियों के साथ राज्य खाद्य आयोग की बैठकों का आयोजन करेंगे। **(तीन)** सदस्य सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से राज्य खाद्य आयोग की बैठकों हेतु एजेण्डा तैयार करेंगे। **(चार)** आयोग के सभी विनिश्चय या तो सर्वसम्मति से या अध्यक्ष तथा सदस्य सदस्य सचिव को सम्मिलित करते हुए उसके सदस्यों के बहुमत के आधार पर होंगे। **(पांच)** अध्यक्ष के मत का मान सदस्यों के मत के ही समान होगा। **4.** जॉच और अपील की सुनवाई के लिये आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी :– (क) आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकरण में कार्यवाही करने के लिये शिकायत में प्रथम दृष्टया तत्व मौजूद है; **(ख)** यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया आधार है तो वह प्रकरण में कार्यवाही करेगा। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 20 यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

नियम 9 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य सचिव	**9** **(1)** अध्यक्ष और सदस्यों को इस नियमावली से

और सहायक कर्मचारी के वेतन और भत्ते तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिये अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध करायेगी।	अनुलग्न अनुसूची "क" में यथा उल्लिखित वेतन का भुगतान किया जायेगा; परन्तु यह कि जहाँ अध्यक्ष या कोई सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हो या संघ क्षेत्र प्रशासन, अर्ध शासकीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था का सेवानिवृत्त पदधारी हो, तो पेंशन के साथ देय वेतन या सेवानिवृत्तिक प्रसुविधाओं का पेंशन सम्बन्धी मूल्य (पेंशनरी वैल्यू), जो वह प्राप्त करेगा, इस उपनियम के अन्तर्गत देय वेतन से अधिक न होगा। **(2)** अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने वेतन हेतु समुचित दरों पर जैसा उसके समकक्ष पंक्ति के राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुमन्य है, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे। परन्तु यह कि यदि किसी गैर सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह क्रमशः सचिव तथा अपर सचिव के लिए स्वीकार्य न्यूनतम स्तर का दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा। अन्य कोई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। **(3)** अध्यक्ष यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से सम्बन्धित अपने बिलों के सम्बन्ध में स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा, वह आयोग के सदस्यों के बिलों को भी अनुमोदित करेगा। **(4)** अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके लिए इस नियमावली में कोई उपबन्ध अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है, ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी। **(5)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्तें, चिकित्सा उपचार तथा सेवा की शर्तें वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

नये नियम 10क का अन्तःस्थापन

7. मूल नियमावली में नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा अर्थात्;

"10–क आयोग की परामर्शी भूमिका–

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (क), (ग) तथा (घ) के अधीन गिनाये गये मामलों पर आयोग ऐसी संस्तुतियाँ कर सकता है या परामर्श दे सकता है जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों और परामर्श पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसा वह उचित समझे:

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन की गई संस्तुति या परामर्श राज्य सरकार पर बाध्यकारी न होगी।"

नियम 12 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य सरकार एक आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अन्तर्गत कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना भी है, या ऐसा अन्य तंत्र, जो संशोधित सरकारों द्वारा विहित किया जाए, स्थापित करेगी। हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण एवं निवारण के दृष्टिगत राज्य में ग्राम्य विकास विभाग में नरेगा में प्रयुक्त हो रही हेल्पलाईन को टोल फ्री नम्बर के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।	राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अन्तर्गत कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना भी है, या ऐसा अन्य तंत्र, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, स्थापित करेगी। हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण एवं निवारण के दृष्टिगत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मुख्यालय में स्थापित उपभोक्ता हेल्पलाईन को टोल फ्री नम्बर के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। उपभोक्ता हेल्प लाईन में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय से निवारण किये जाने, समीक्षा किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर उपायुक्त(मुख्यालय) नोडल अधिकारी होंगे। मण्डल स्तर पर सम्बन्धित मण्डल के उपायुक्त (खाद्य) नोडल अधिकारी होगें। जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला के जिला पूर्ति अधिकारी नोडल अधिकारी (हेल्प लाईन/आन्तरिक शिकायत निवारण प्रक्रिया) होंगे।

नये नियम 12–क एवं 12–ख का अन्तःस्थापन

9. मूल नियमावली में नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किये जाऐंगे अर्थातः–

"12–'क' शिकायतों का पंजीयन

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 के अधीन हकदार को, खाद्या न्नों या भोजन के वितरण से सम्बन्धित मामलों में, व्यथित व्यक्ति या संस्था, द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला शिकायत निवारण अधिकारी के सम्मुख सादे कागज में लिखित रूप में डाक द्वारा अथवा शिकायत बॉक्स में डाल कर या ई–मेल या हेल्पलाईन नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

(2) हेल्पलाईन पर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्राप्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज करेंगे।

(3) शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम, पता, फोन नं0 एवं शिकायत का विस्तृत विवरण दिया जाना होगा।

(4) यदि शिकायतकर्ता लिखित में अपनी शिकायत देने में असमर्थ है तो वह अपनी शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के सम्मुख मौखिक रूप में दर्ज करा सकेंगे इस हेतु जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जायेगी।

(5) प्राप्त शिकायतों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा एक विशिष्ट शिकायत नम्बर प्रदान की जायेगी और आवेदक को उसकी सूचना दी जायेगी।"

जिला शिकायत निवारण अधिकारी

"12–ख" राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 के अधीन हकदार को खाद्यान्न या भोजन के वितरण से सम्बन्धित मामलों में व्यथित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण हेतु प्रत्येक जिले के मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी होंगे, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं नियमावली में उल्लिखित जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे।"

नियम 13 का संशोधन **10.** मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिये जाएगें अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
13. जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के प्रतिस्थापित नियम	(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अध्याय 2 के अधीन हकदार को खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण से सम्बन्धित मामलों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र प्रभावी निवारण के लिये राज्य सरकार द्वारा इन हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण और निवारण करने हेतु प्रत्येक जिले के लिये एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। इस कार्य हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। (2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियॉ ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें। (3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति की पद्धति और निबंधन तथा शर्ते वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेंगी। (4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी अन्य कर्मचारी के वेतन एवं भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का उपबंध करेगी, जो उनके उचित कार्यकरण के लिये आवश्यक समझे जायेंगे। (5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, हकदार को खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किये जाने और उनसे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों को सुनेगा तथा निवारण के लिये ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, तो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्यवाही करेगा। (6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता या अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरूद्ध उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे	**13.शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया एवं अपील**	13(1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियम, 12'क' के अधीन प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु:– **(क)** यह सुनिश्चित करेगा कि मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही करने के लिए शिकायत में प्रथम दृष्टया कोई सार है; **(ख)** यदि उसे यह पता चलता है कि शिकायत में कोई सार विद्यमान नहीं है, तो शिकायत को खारिज कर देगा; (ग) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई आधार है, तो वह सम्बन्धित अधिकारी या व्यक्ति या संस्था, जिसके विरूद्ध शिकायत दर्ज की गयी है, से स्पष्टीकरण संगत अभिलेखों सहित प्राप्त करेगा; (घ) सम्बन्धित अधिकारी या व्यक्ति या एजेन्सी जिसके विरूद्ध शिकायत दर्ज की गयी है, स्पष्टीकरण संगत अभिलेखों सहित जिला शिकायत निवारण अधिकारी को 15 दिन के भीतर उपलब्ध करायेगा; (ड़) प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी, यदि संतुष्ट हो जाए, तो यह शिकायत के निवारण हेतु यथा सम्भव शिकायत प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आवश्यक आदेश/ निर्देश जारी करेगा; **(च)** यदि खण्ड (घ) में प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी, का यह समाधान हो जाय, कि उभयपक्षों को सुना जाना आवश्यक है, तो वह सुनवाई के लिए उभयपक्षों को समय, दिनांक और स्थान निश्चित करते हुये एक नोटिस जारी करेगा; (छ) पक्षकारों की सुनवाई करेगा और ऐसे साक्ष्य प्राप्त करेगा जो सुनवाई के लिये नियत दिनांक को प्रस्तुत किये जा सकें या आवश्यक समझे जायें या नियत दिनांक को

	आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाईल करेगा। (7) उपनियम (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर फाईल की जायेगी, जो राज्य सरकार आदेश विहित करें।		शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित होने पर शिकायत को खारिज कर सकेगा; **(ज)** कार्यवाही को पक्षकारों के निवेदन पर या स्वप्रेरणा से मूल्य के साथ या बिना मूल्य के किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित करेगा। **(झ)** जॉच के पश्चात् शिकायत निवारण के सम्बन्ध में निर्णय करेगा। (2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरण न किये जाने और उससे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिये 90 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करेगा: (3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रकार निस्तारित शिकायतों की मासिक सूचना आयुक्त खाद्य तथा सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्येक माह के 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करोयेंगे। (4) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश जारी होने की 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील दायर करेगा। परन्तु यह कि आयोग 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा बशर्ते यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी को निर्धारित समय के भीतर अपील न दाखिल करने के अपरिहार्य कारण रहें हों।

नये नियम 14 एवं 15 का अन्त:स्थापन

11. मूल नियमावली में नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्;

अभिलेखों का अनुरक्षण

"14(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखा जायेगा और जनता के निरीक्षण के लिये खुला रखा जायेगा।

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय पोर्टल में निम्नलिखित सूचनायें सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा:–

(क) समस्त उचित दर विक्रेताओं का नाम, पता व कार्यक्षेत्र;

(ख) समस्त उचित दर विक्रेताओं से सम्बद्ध समस्त कार्डधारकों का नाम तथा विवरण;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं में वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा व मूल्य प्रदर्शित किया जायेगा;

(घ) सभी योजनाओं के लिए पात्रता सम्बन्धी सूचना का प्रकटीकरण किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28(1) के अनुसार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामाजिक सम्परीक्षा हेतु नामित किया जायेगा।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 29 के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक, नगर निकाय तथा ग्राम पंचायत के स्तर पर सतर्कता समीतियों का गठन किया जायेगा, उक्त समितियों में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों में स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

उक्त समितियों द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाऐगा :–

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से परिवेक्षण करना।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करना।

(ग) उनके द्वारा पाये गये किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के सम्बन्ध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

शास्ति:– **14.** **(क)** ऐसा कोई लोकसेवक या प्राधिकारी जिसे राज्य खाद्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अथवा उनके द्वारा सिफारिश किये गये अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जायेगा तभी राज्य खाद्य आयोग द्वारा पाँच हजार से अनधिक की शास्ति आरोपित की जायेगी। अर्थात् राज्य खाद्य आयोग द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों से इतर प्रकरणों में सीधे शास्ति आरोपित नहीं किया जा सकेगा।

(ख) राज्य खाद्य आयोग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सरकार को की जाऐगी।

आज्ञा से,

Signed by L Fanai
Date: 25-08-2023 18:13:36

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।

अनुसूची– क

(नियम 9(1) देखिये।)

नियम खाद्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के वेतनमान की सूची

क्र0 स0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	अध्यक्ष	01	रू0 1,00,000 (नियत)
2	सदस्य	05	रू0 70,000 (नियत)
3	सदस्य सचिव	01	37,400–67,000 ग्रेड वेतन 8700,
4.	वरिष्ठ सहायक	01	निःसंवर्गीय पद अथवा विभागीय प्रतिनियुक्ति।
5.	सहायक लेखाकार	01	आउट्सोर्स के माध्यम से
6.	वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक	02	आउट्सोर्स के माध्यम से
7.	कनिष्ठ सहायक	02	आउट्सोर्स के माध्यम से
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	आउट्सोर्स के माध्यम से

ह०
(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2
संख्या 595/13–XIX–2/61 खाद्य/2013
देहरादून : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013" की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड र. ्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण तंत्र का गठन करने तथा सेवा मे भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण नियमावली, 2013

भाग – एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. **(एक)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण नियमावली, 2013 है।
(दो) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषायें

2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:–
(क) **"अध्यक्ष"** से अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;
(ख) **"सदस्य"** से सदस्य, राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;
(ग) **"सदस्य संचिव"** से सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;
(घ) **"जिला शिकायत निवारण अधिकारी"** से अधिकारी, जिला शिकायत निवारण तंत्र अभिप्रेत है;
(ड़) **"भारत का नागरिक"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
(च) **"संविधान"** से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
(छ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ज) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(झ) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो–

राज्य खाद्य आयोग का गठन (धारा 16)

3\. राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनार्थ राज्य स्तर पर एक राज्य आयोग का गठन निम्नवत् किया जायेगा; अर्थात–

(क) एक अध्यक्ष;

(ख) पाँच सदस्य;

(ग) एक सदस्य तथा सचिव, जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव पद से अन्यून हो;

परन्तु यह कि न्यूनतम् दो महिलायें या तो अध्यक्ष, सदस्य अथवा सदस्य सचिव नामित होंगी।

परन्तु यह और कि एक अनुसूचित जाति से और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य अथवा सदस्य सचिव हो।